फा. सं. 05/एनएमए-प्रशा./2025 (सी. नं. 84)

भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (एनएमए) में अंशकालिक सदस्य के 05 (पांच) पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित करना

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (एनएमए), जो प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (2010 में यथा संशोधित) के अंतर्गत गठित संस्कृति मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है, पुरातत्व, ग्राम और नगर नियोजन, वास्तुकला, विरासत, संरक्षण-वास्तुकला या कानून के क्षेत्र में सिद्ध अनुभव और विशेषज्ञता वाले प्रतिष्ठित पेशेवरों से राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (एनएमए) के अंशकालिक सदस्यों (05) के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:-

2. अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड और अन्य शर्तें निम्नानुसार हैं:

i. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को अधिकतम आयु 67 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ii. अंशकालिक सदस्य का कार्यकाल उसके पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, होगा तथा वह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

iii. कोई भी व्यक्ति जिसने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के संस्कृति मंत्रालय में कोई पद धारण किया हो या जो ऐसे किसी पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया हो, वह एनएमए के अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र नहीं होंगे।

iv. कोई भी व्यक्ति, जिसे या तो अनुमति या लाइसेंस दिया गया था या जिसने ऐसी अनुमति देने से इनकार कर दिया था या लाइसेंस लेने से इनकार कर दिया था या किसी व्यक्ति या उसके किसी रिश्तेदार को जिसका प्रतिषिद्ध क्षेत्र या विनियमित क्षेत्र में कोई रूचि थी, अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र नहीं होंगे। इस प्रयोजन के लिए, "रिश्तेदार" का अर्थ है:-

क. एनएमए के अध्यक्ष या सदस्य का जीवन-साथी;
ख. एनएमए के अध्यक्ष या सदस्य का भाई या बहन;
ग. एनएमए के अध्यक्ष या सदस्य के पति या पत्नी का भाई या बहन;
घ. एनएमए के अध्यक्ष या सदस्य के माता-पिता में से किसी का भाई या बहन:
ङ. एनएमए के अध्यक्ष या सदस्य का कोई भी पूर्ववर्ती या अनुवर्ती वंशज;
च. एनएमए के अध्यक्ष या सदस्य के पति या पत्नी का कोई भी पूर्ववर्ती या अनुवर्ती वंशज;
छ. खंड (ख) से (च) में निर्दिष्ट व्यक्ति का जीवन-साथी।

v अंशकालिक सदस्य को प्राधिकरण की बैठक में भाग लेने पर प्रत्येक बैठक/दिन के लिए 5,000/- (पांच हजार रुपये) का बैठक भत्ता मिलेगा, लेकिन यह भत्ता एक माह में 50,000/- (पचास हजार रुपये) से अधिक नहीं होगा और वह राष्ट्रीय प्राधिकरण के पूर्णकालिक सदस्य को देय दरों पर परिवहन शुल्क की प्रतिपूर्ति का हकदार होगा।

3. उपर्युक्त उल्लिखित प्रासंगिक क्षेत्रों से इच्छुक प्रतिष्ठित पेशेवर, अपने आवेदन पत्र, वर्तमान व्यवसाय/कार्यकलाप, यदि कोई हो, का उल्लेख करते हुए, प्रासंगिक अनुभव और विशेषज्ञता के साथ, विस्तृत जीवनवृत्त (सीवी) के साथ, केंद्र सरकार द्वारा विचार हेतु **14 जुलाई, 2025** तक निदेशक, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण, 24 तिलक मार्ग, नई दिल्ली-110001 को ईमेल director@nma.gov.in के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं।

सव्यसाची मारवाह

(कर्नल सव्यसाची मारवाहा)

निदेशक, एनएमए

22.05.2025